कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र – (उ0प्र0)

☎ 05446–252020 PIN Code: 231217 Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 4268/ रेनुकूट / 15–117 रेनुकूट,दिनांक,जून, 06 ,2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में कनहर सिचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात कुल 127.1637 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में ।

संदर्भः– 1–क्षेत्रीय सशक्त समिति(आर.ई.सी.) की बैठक दिनांक– 05.03.2019 की कार्यवाई (आर.ई.सी. एजेण्डा आइटम 37.3 यू.पी.)

2–भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी/यू.पी./02/31/2018/एफ.सी./663 दिनांक– 06.03.2019

3– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या– 1745/11–सी–एफ0पी0/यू.पी./Irrig /20269/2016 लखनऊ दिनांक– 07 मार्च 2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में क्षेत्रीय सशक्त समिति(आर.ई.सी.) की बैठक दिनांक– 05.03.2019 की कार्यवाई तथा संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करें । उक्त के क्रम में वांछित सूचना/अभिलेखो की प्रतियॉ उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या– 3189/रेनुकूट/15–117 दिनांक– 18.03.2019 द्वारा अधिशासी अभियनता, कनहर निर्माण खण्ड–तृतीय, पिपरी–सोनभद्र से अनुरोध किया गया था । अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड–तृतीय, पिपरी–सोनभद्र ने अपने पत्र संख्या– 114/क0नि0ख–3 पि/वन दिनांक– 01.05.2019 द्वारा वांछित सूचना/अभिलेखो की पॉच प्रतियॉ इस कार्यालय में उपलब्ध करायी गयी है जिसके आधार पर प्रभाग की आख्या/अभिलेख निम्न विवरण के अनुसार अवलोकनार्थ एवं संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क्रम संख्या	क्षेत्रीय सशक्त समिति (आर0ई0सी0) की बैठक दिनांक–05.03.2019 में उल्लिखित बिन्दु	आख्या
1	2	3
1	क्षेत्रीय सशक्त समिति(आर0ई0सी0) की बैठक दिनांक– 28.05.2015 के निर्णय का अनुपालन ।	क्षेत्रीय सशक्त समिति(आर0ई0सी0)की बैठक दिनांक– 28.05.2015 के अनुपालन में कनहर सिचाई परियोजना के वर्तमान प्रस्ताव में मुख्य नहरों एवं प्रणालियों की समस्त नहरों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग एवं ओबरा बन प्रभाग की कुल 127.1637 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कराते हुए उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार की सेवा में प्रेषित की जा चुकी है ।

	माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एन0जी0टी0) द्वारा दिनांक– 30.08.2018 को दिये गये आदेश का अनुपालन ।	माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एन0जी0टी0) द्वारा दिनांक– 30.08.2018 को दिये गये आदेश का अनुपालन आख्या प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी है जिसकी प्रति संलग्न है ।
3	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि काफी अनियमित है अतः सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा वनरोपण हेतु चयनित भूमि की उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र एवं समेकित के0एम0एल0 फाइल समर्पित किया जाय ।	इस बिन्दुं के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित वन भूमि एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्राप्त होने वाले समतुल्य गैर वन भूमि का निरीक्षण श्री के0के0 तिवारी, वन संरक्षक, केन्द्रीय महोदय द्वारा दिनांक–24.05.2018 को किया गया था । स्थलीय निरीक्षणोपरान्त वन संरक्षक, केन्द्रीय महोदय द्वारा यह अवगत कराया गया था कि परियोजना में प्रभावित कुल 127.1637 हे0 वन भूमि के सापेक्ष कनहर परियोजना द्वारा वन विभाग को उपलब्ध करायी जाने वाली समतुल्य गैर वन भूमि 132.6126 हे0 में पूर्व से पेड़ पौधे लगे हुए है , जिसके कारण वनीकरण की भूमि कम हो जायेगी । अतः कनहर परियोजना द्वारा 132.6126 हे0 गैर वन भूमि के अलावा कुछ और गैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराया जाय ताकि उस पर भी वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही किया जा सकें । वन संरक्षक, केन्द्रीय महोदय द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में कनहर परियोजना द्वारा रेनुकूट वन प्रभाग के विण्ढमगंज रेंज अन्तर्गत ग्राम–कुदरी में 28.1482 हे0 अतिरिक्त गैर वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित किया गया जिसके संबंध में रिपोर्ट आवश्यक अभिलेखो सहित भारत सरकार की सेवा में प्रेषित की जा चुकी है । इस प्रकार प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित 127.1637 हे0 वन भूमि के सापेक्ष कनहर परियोजना द्वारा (132 .6126 हे0 . 28.1482 हे0) 160.7608 हे0 समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित किया गया है जो कि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है । उपयुक्तता प्रमाण–पत्र पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है । **प्रेषित किये गये प्रमाण–पत्र की छाया प्रति तथा समेकित के0एम0एल0 फाईल इस पत्र के साथ संलग्न है ।**
4	वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का अभी तक प्रकरण में उल्लंधन नही हुआ है, सम्बन्धित अद्वतन प्रमाण–पत्र भी संलग्न किया जाय	प्रश्नगत प्रकरण में अभी तक वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंधन नही हुआ है । इस संबंध में **दोनो वन प्रभागो का अद्यतन प्रमाण–पत्र संलग्न है ।**

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

संख्या- अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र ।

2–अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड–तृतीय , पिपरी–सोनभद्र ।

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट